कार्यालय वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)
दूरभाष नं.07744–225559(का.) 226379 ई.मेल-dfo-rajnandgaon.cg@gov.in

चेक लिस्ट क्र. 26

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–930 झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छ.ग./महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र उत्तर मानपुर के कक्ष क्रमांक–918 रकबा 2.090 हे.,कक्ष क्रमांक 919 रकबा 3.041 हे.,कक्ष क्रमांक 924 रकबा 3.883 हे., कक्ष क्रमांक 926 रकबा 3.562 हे., कक्ष क्रमांक 941 रकबा 6.289 हे., कक्ष क्रमांक 942 रकबा 2.673 हे., कक्ष क्रमांक 943 रकबा 4.181 हे., कक्ष क्रमांक 944 रकबा 2.448 हे., कक्ष क्रमांक 947 रकबा 0.092 हे., कक्ष क्रमांक 949 रकबा 4.482 हे., कक्ष क्रमांक 950 रकबा 0.979 हे. कुल रकबा 33.72 हे. एवं मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव को कार्य हेतु हस्तांतरित पुराना कक्ष क्रमांक–526 रकबा 1.676 हे., कक्ष क्रमांक 544 रकबा 4.692 हे.,कक्ष क्रमांक 545 रकबा 2.442 हे., कक्ष क्रमांक 546 रकबा 4.334 हे. कुल रकबा 13.144 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र ग्राम बिटेझर खसरा नं. 212 रकबा 0.091 हे. कुल रकबा 46.955 हे. को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किये जाने हेतु मांग किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, हाथी कोरीडोर, आदि) वन की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। आवेदित वनक्षेत्र एवं आसपास वनक्षेत्र के अंतर्गत वन्य प्राणीयो का आवागमन पाया गया है। जैसे शेर, तेन्दुआ, हाथी, जंगली सुअर, हिरण, लकड़बग्घा, कोटरी, भालू आदि प्रायः देखा गया है। विगत वर्षो में परिक्षेत्र उत्तर मानपुर के कक्ष क्रमांक 950,926,919,918 के अंतर्गत ग्राम मानपुर, कोरकोट्टी, खड़गांव एवं खेड़ेगांव में निवासरत 04 हितग्राहीयो को वन्यप्राणीयो से प्रभावित होने के कारण मकान क्षतिपूर्ति की राशि एवं अन्य क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया गया है। यह प्रतीत होता है कि उक्त आवेदित वनक्षेत्रों के आसपास वन्य प्राणी से मानव द्वन्द होने की संभावना बनी रहती है। प्रस्तावित राष्ट्रीय

Scanned by CamScanner

227

राजमार्ग क्रमांक–930 के चौड़ीकरण एवं 2/4 लेन करने से आसपास के वन्य प्राणीयो का रहवास एवं आवागमन प्रभावित होगा।

पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक 526, 544, 545, 546 भू–क्षरण क्षेत्र है। इन क्षेत्रो में मिट्टी का कटाव प्रायः होते रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनक्षेत्र का **घनत्व 0.5 से 0.6** है। जिसमें आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक **27.05.2019** को किया गया ।

(पंकज राजपूत)
भ.व.से.
वनमंडलाधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल,राजनांदगांव

Scanned by CamScanner

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/29243/2017

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरूर–झलमला–बालोद–कुसूमकसा–मानपुर मार्ग (छ.ग./महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य,जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान :–	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के झलमला – बालोद – कुसूमकसा–मानपुर मार्ग निर्माण हेतु
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	राजनांदगांव
(iii)	वन प्रभाग	राजनांदगांव वनमंडल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	46.955 हे.
(v)	वन की कानूनी स्थिति	1. संरक्षित वन रकबा – 46.864 हे. 2. राजस्व वन रकबा – 0.091 हे. **कुल – 46.955 हे.**
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5–0.6, साईड क्वालिटी III , IV-B
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. –2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के झलमला – बालोद – कुसूमकसा–मानपुर मार्ग निर्माण कार्य हेतु वृक्ष विदोहन प्रस्तावित है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल भूमि में से पानाबरस परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 526, 544, 545, 546 भू–क्षरण क्षेत्र है। इन क्षेत्रो में मिट्टी का कटाव प्रायः होते रहता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	वनो से लगा हुआ एवं वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	नहीं है ।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नहीं है ।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/ पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।	नहीं है ।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता से सहमत हूँ।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी	नहीं

Scanned by CamScanner

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	–
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	–
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढ़ांचा आदि ।	–
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।	–
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	–
11.	वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12.	**विभाग /जिला प्रोफाईल**	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5378.94 वर्ग कि.मी.
(ii)	वनमंडल का वन क्षेत्र	1393.56 वर्ग कि.मी.
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	प्रकरण संख्या– 16 रकबा 536.003 हे.
(iv) (क) (ख)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । वनेत्तर भूमि पर	771.559 हे. – –
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	771.559 हे.
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जिला राजनांदगांव के अतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 930 के झलमला – बालोद – कुसूमकसा–मानपुर मार्ग चौड़ीकरण निर्माण उन्न्यन कार्य किया जाना है। इस मार्ग के निर्माण होने से राजनांदगांव शहर में यातायत के दबाव को कम होगा तथा इस मार्ग का चौड़ीकरण निर्माण होने से दुर्ग, दल्लीराजहरा, मानपुर की ओर आने–जाने वाली गाड़िया सरलता से तय करेगी। राजनांदगांव जिले का यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा। इस प्रकार मार्ग निर्माण से जिले के साथ–साथ प्रदेश एवं सपूर्ण भारत लाभांवित होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हूए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु सशर्त अनुशंसा की जाती है। जिसमें कार्य ऐजेंसी को 05 वर्ष के लिये वाहन उपलब्ध कराना होगा एवं उसके Fuel एवं वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी, मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में सड़क किनारे 03 पक्तियों में वृक्षारोपण विभाग द्वारा कराया जाना होगा जिसका वहन यूजर ऐजेंसी को करना होगा ।

(पंकज राजपूत)
भ.व.से.
वनमंडलाधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल,राजनांद

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक /व.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1 परियोजना का नाम : राष्ट्रीय राजमार्ग कंमाक 930 के पुरूर–झलमला–बालोद–कुसूमकसा–मानपुर मार्ग (छ.ग./महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य हेतु

2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम : कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग कं.01 लोक निर्माण विभाग रायपुर, छ.ग.

3 गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग : रकबा 46.955 हें.

4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति :

जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
राजनांदगांव	राजनांदगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग कंमाक 930 के पुरूर–झलमला–बालोद–कुसूमकसा–मानपुर

5 वन भूमि का विस्तृत विवरण :

(क) आरक्षित वन : –

(ख) सीमांकित संरक्षित वन :

कक्ष कमांक	क्षेत्रफल
918	2.090
919	3.041
924	3.882
926	3.562
941	6.289
942	2.671
943	4.181
944	2.435
947	0.092
949	4.481
950	0.977
526	1.675
544	4.692
545	2.441
546	4.333
कुल	46.864

(ग) असीमांकित संरक्षित वन : –

(घ) राजस्व वन क्षेत्र : 0.091

योग – : 46.955 हे

6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार : 0.5–0.6, साईड क्वालिटी III , IV-B

7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण :

8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति : पर्याप्त

9 आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्यू.डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानिचित्र में भी अंकित करें) : निरंक

Scanned by CamScanner

10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।	:	नहीं है।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सारकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)	:	नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें ।	:	उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा दिनांक 27.5.2019 को किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है । आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षण स्थल –
दिनांक –

(पंकज राजपूत)
भ.व.से.
वनमंडलाधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल,राजनांदगांव

Scanned by CamScanner